न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29/2020

उमर मौहम्मद पुत्र ईदू खां जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. रहीश
2. हारिश
3. जावेद पिसरान ईदू खां जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी।

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :–1. श्री बृजलाल शर्मा वकील वादी

दिनांक :– 09.10.2020

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 80/0.17, 332/1.14, 333/0.08, 340/0.69, 347/0.54, 4294/351/0.10, 4376/2381/0.19, 4391/2240/0.19 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया के हाल खसरा नम्बर 332/1.14, जिसका साबिक नम्बर 253/1.14 में से प्रतिवादगण 1 लगायत 3 ने अपने 3/4 हिस्से का 1/16 हिस्सा का हकत्याग दिनांक 24/07/2015 को उपपंजीयक महोदय, पहाडी के यहाँ मुझ वादी के पक्ष में तस्दीक कराया था जिस पर आज भी वादी का ही शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है लेकिन वादी के अशिक्षित व सीधेपन होने के कारण आज तक उसका दाखिल खारिज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है तथा मौके पर वादी बतौर खातेदार की हैसियत से मौके पर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी के नाम चले आ रहे राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड से कलमजन कराकर वादी अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी मुतदाविया पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्तरूप से कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार अपने–अपने हिस्से पर शान्ति पूर्वक कब्जा व काश्त है । लेकिन वक्त काश्त आपस में तनाजा रहता है तथा काश्त करने में भारी परेशानी आती है जिसके सवव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 अच्छी आराजी पर कब्जा नाजायज करना चाहते है। जिसके सवव वादी द्वारा अपनी सम्मलित आराजी मुतदाविया का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा कराने को कहा तो उसने साफ इन्कार कर दिया । जिससे अब सामलात रूप से काश्त करना संभव नहीं है लिहाजा वादी आराजी मुत0 के मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी के अलग–अलग कुर्रे कराकर अलग–अलग खाता एवं राज लगान कायम करा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण का वादी के हिस्से की आराजी से किसी प्रकार कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके बाबजूद प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की आराजी में आये दिन मजाहमत व मदाखलत करते रहते है तथा वादी के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाना चाहते है व प्रतिवादीगण लठ्ठ व ताकत के बल पर विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है जिसकी धमकी दिनांक 08/06/2020 को स्पष्ट शब्दों में ग्राम कैथवाडा में दी है। कि हमउ क्त आराजी मुतदाविया को बिना विभाजन कराये रहनवय मुन्तकिल करके रहेगे यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को भारी क्षति होगी विधि वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः आराजी मुतदाविया के हाल खसरा नम्बर 332/1.14 जिसकी साबिक नम्बर 253/1.14 में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने अपने 3/4 हिस्से का 1/16 हिस्सा का हकत्याग दिनांक 24/07/2015 के व कब्जा काश्त के आधार पर प्रतिवादीगण के स्थान पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी मुतदाविया के सम्बन्ध में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के रिपोर्ट कुर्रेजात मंगाये जाकर अलग–अलग खाता व राज लगान कायम किये जावें।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

दावा वादी दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया कि मुझ वादी ने जो हकत्याग के आधार पर दावे में खातेदारी का अनुतोष मांगा उसको वादी वापिस लेता है एवं विभाजन का अनुतोष चाहता है। जिसके लिये हम प्रतिवादीगण पूर्ण रूप से सहमत है। कि विवादित आराजी आराजी का वादी एव हम प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हिस्सा विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हम प्रतिवादीगण को अलग–अलग खाता कायम किये जाने में वादी एवं प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है। हम प्रतिवादीगण के हिस्सों पर जो रहन का इन्द्राज है वह बदस्तूर रहेगा । वर विनाय राजीनामा वादी द्वारा दावे में चाहे खातेदारी के अनुतोष खारिज किया जावे एवं वादी के दावे को मुताबिक हिस्सा विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक रूप से डिक्री फरमाया जावें।

बहस में वकील वादी ने निवेदन किया कि विवादित आराजी बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है जिसके वादी एवं प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी सामलात होने के कारण वक्त काश्त पक्षकारान में आपस में तनाजा बना रहता है प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि वादी के दावे को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विभाजन किये जाने हेतु प्राथमिक रूप से डिक्री फरमाया जावें। अतः दावा वादी ने विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार से आराजी के सम्बन्ध में मुताबिक हिस्सा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव मंगाये जावें।

बहस वकील वादी सुनी गयी । हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत राजीनामा का भी अवलोकन किया विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के सामलात कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है जिस पर पक्षकारान मुताबिक हिस्सा काबिज है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है कि दावे को मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विभाजन किये जाने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

अतः दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पहाडी को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 80/0.17, 332/1.14, 333/0.08, 340/0.69, 347/0.54, 4294/351/0.10, 4376/2381/0.19, 4391/2240/0.19 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड,अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात के कुर्रे रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु पृथक से कैफियत जारी हो। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर शामिल पत्रावली हो।

निर्णय आज दिनांक 09/10/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

प्राथमिक डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 29/2020
उमर मौहम्मद पुत्र ईदू खां जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. रहीश
2. हारिश
3. जावेद पिसरान ईदू खां जाति मेव निवासी कैथवाडा तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब पहाडी।

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 53,88,89,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार पहाडी को आदेशित किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 80/0.17, 332/1.14, 333/0.08, 340/0.69, 347/0.54, 4294/351/0.10, 4376/2381/0.19, 4391/2240/0.19 बांके ग्राम कैथवाडा प्रथम तहसील पहाडी मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड,अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजीयात के कुर्रे रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु पृथक से कैफियत जारी हो।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.10 सन् 2020 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner